

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 357/2024  
अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र करनेलसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।  
- वादी

बनाम्

1. करनैल उर्फ करनेलसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र करनेलसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 10/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 168/163 की कुल 6.1990 हैक्ट भूमि में से 1422/30995 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 29/31 की कुल 6.1980 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 173/164 की कुल 0.2870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 15/15 की कुल 10.1200 हैक्ट भूमि में से 527/6880 हिस्सा, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 169/162 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 3/25 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं० 34/34 की कुल 1.8980 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं० 41/30 की कुल 19.0010 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं० 40/40 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक वादी की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 168/163 की कुल 6.1990 हैक्ट भूमि में से 1422/30995 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 29/31 की कुल 6.1980 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 173/164 की कुल 0.2870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 15/15 की कुल 10.1200 हैक्ट भूमि में से 527/6880 हिस्सा, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं० 169/162 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 3/25 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं० 34/34 की कुल 1.8980 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं० 41/30 की कुल 19.0010 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि रोही

उपग्रह अधिकारी  
नोहर

मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 40/40 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 168/163 की कुल 6.1990 हैक्ट भूमि में से 1422/30995 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 29/31 की कुल 6.1980 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 173/164 की कुल 0.2870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 15/15 की कुल 10.1200 हैक्ट भूमि में से 527/6880 हिस्सा, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 169/162 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 3/25 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34/34 की कुल 1.8980 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 41/30 की कुल 19.0010 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 40/40 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 357/2024

अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र करनेलसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।  
- वादी

बनाम्

1. करनैल उर्फ करनेलसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र करनेलसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2024 निर्णय दिनांक - 10/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 168/163 की कुल 6.1990 हैक्ट भूमि में से 1422/30995 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता संख्या 29/31 की कुल 6.1980 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 173/164 की कुल 0.2870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 15/15 की कुल 10.1200 हैक्ट भूमि में से 527/6880 हिस्सा, रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 169/162 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 60/60 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 3/25 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34/34 की कुल 1.8980 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 41/30 की कुल 19.0010 हैक्ट भूमि में से 1/48 हिस्सा भूमि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 40/40 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर